न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : विनय पाठक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03 / 2018

दायर दिनांक–20.04.2018
निर्णय दिनांक–11.01.2019

बापू पिता अलका मीणा निवासी गजपुर वगैराह (3)
तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर

.....अपीलान्टस

बनाम

मोहन पिता हलिया मीणा निवासी गजपुर तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :

1.श्री बालगोविन्द पाटीदार अभिभाषक वास्ते अपीलान्टस
2.श्री अमृतलाल पंचाल अभिभाषक वास्ते रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

इस प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झौथरीपाल के द्वारा प्रकरण संख्या 01 / 2017 श्री मोहन मीणा वगैराह बनाम श्री बापू वगैराह अन्तर्गत धारा 183(ख) आर.टी.ए. के तहत पेश वाद मे पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 के द्वारा ग्राम गजपुर पटवार मण्डल पोहरी खातुरात की जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 70 के खसरा नंबर 885,901,982 रकबा 0.13 बीघा,4.12 बीघा, 3.07 बीघा कुल रकबा 8.12 बीघा पर से प्रतिवादीगण (अपीलान्टस) को बेदखल करने एवं आराजी नंबर 982 रकबा 3.07 बीघा भूमि पर प्रतिवादी नारायण पिता बापू एवं रतना पिता लक्ष्मण (अपीलान्टस) द्वारा बनाये गये अवैध मकान को ध्वस्त (नष्ट) करने एवं कब्जा वादी को दिया जाने का आदेश पारित करने से उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झौथरीपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 को निरस्त कराने हेतु यह अपील पेश की है।

प्रकरण इस न्यायालय मे पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को वास्ते जवाबदेही हेतु जरिये नोटीस के तलब किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गयी। रेस्पो. ने अपनी ओर से जवाब पेश करते हुए बताया है कि तहसीलदार झौथरीपाल के द्वारा दोनों पक्षो की बहस को सुनकार ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्टस की ओर से उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मे प्रस्तुत वाद मे उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाडा द्वारा स्थगन आदेश जारी नही करने से तहसीलदार झौथरीपाल द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई की जाकर धारा 183 बी उनके अधिकार क्षेत्र मे होने से आदेश पारित किया गया है जो उनके अधिकार क्षेत्र मे था। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

इस न्यायालय की एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस उभयपक्षों की समायत की गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी ओर से बहस मे बताया है कि विवादग्रस्त भूमि पूर्व मे बिलानाम दर्ज थी। जिसे सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने रेस्पों. के परिवार से मिलकर रेस्पों. के पूर्वजो के नाम दर्ज कर दी थी, जबकी अपीलान्ट्स एवं उनके परिवार का उक्त बिलानाम भूमि पर करीब 80 वर्ष पूर्व कब्जा था एवं इसके पश्चात उस भूमि पर मकान भी बनाये थे जो पुराने हो जाने से उसे गिराकर उसी जगह नारायण एवं रतना रेस्पो. संख्या 6 व 7 ने नये मकान निर्मित किये है अपीलान्टस ने खातेदारी अधिकारों के लिये एक वाद श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के न्यायालय मे पेश किया है जो विचाराधीन है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया गया जो नियमों के विपरित है क्योंकि उनके क्षेत्राधिकार मे नही होते हुए निर्णय पारित कर दिया गया। दिनांक 25.01.2018 को वास्ते बहस हेतु निर्धारित की गयी थी लेकिन बिना बहस सुने ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया एवं अपीलान्टस को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नही करते हुए एक तरफा निर्णय पारित कर दिया गया जो नियमों के विपरित है। जब अपीलान्टस ने इसी विवादित भूमि से संबंधित वाद माननीय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के न्यायालय मे धारा 88,188, 209 आर.टी.ए.के तहत पेश कर रखा है जो विचाराधीन है जिसमे स्वयं तहसीलदार झौथरीपाल प्रतिवादी है। तहसीलदार स्वयं उक्त प्रकरण मे पक्षकार होते हुए भी प्रकरण मे अन्तिम निर्णय पारित होने से पूर्व ही निर्णय पारित कर दिया गया जो नियमों के विपरित है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने का आदेश प्रदान करें।

विद्वान वकील रेस्पों. ने अपनी ओर से बताया है कि तहसीलदार झौथरीपाल के द्वारा दोनों पक्षो की बहस को सुनकर ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्टस की ओर से उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मे प्रस्तुत वाद मे उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाडा द्वारा स्थगन आदेश जारी नही करने से तहसीलदार झौथरीपाल द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई की जाकर धारा 183 बी उनके अधिकार क्षेत्र मे होने से आदेश पारित किया गया है जो उनके अधिकार क्षेत्र मे था। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

इस न्यायालय की एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर एवं उभयपक्षों की ओर से बहस मे दी गयी दलीलों पर गोर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जब इसी विवादित भूमि से संबंधित अपीलान्ट की ओर से वाद उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के न्यायालय मे धारा–88,188,209 आर.टी.ए. के तहत पेश कर रखा है जो विचाराधीन है जिसमे तहसीलदार झौथरीपाल स्वयं प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार है। उक्त प्रकरण मे अन्तिम निर्णय पारित होने से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झौथरीपाल द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया जो नियमों के विपरित होकर विधि सम्मत नही है उक्त आदेश काबिले खारिज है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

झोथरीपाल के द्वारा प्र.सं. 01/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 को अपास्त (खारीज) करते हुए इस निर्देश के साथ प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड (प्रति प्रेषित) करने के आदेश दिये जाते है । उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मे अपीलान्टस की आरे से प्रस्तुत वाद के अन्तिम निर्णय के पश्चात दोनों पक्षों को विधिवत रूप से सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनय पाठक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर